न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 68/2021 बउनवानी गिर्राज प्रसाद वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर कोष कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट परिसर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/172

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(113)सूकाअ/2021/1008 दिनांक 18.6.2021 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि आवेदक को खातेदार दुर्गा पुत्र हरबक्स जाति चमार बैरवा खातेदार मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल पुत्र दुर्गा साबिक ख0न0 484 की कृषि भूमि 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम माणोली तहसील मलारना डूँगर या मलारना चौड सम्वत् 1992 से लगातार 2003 तक की समस्त दाल बांच/सियाह/लगान/की प्रमाणित प्रति पर अथवा रसीदो की प्रमाणित प्रतियॉ चाहिए। जैसी भी स्थिति में हो दस्तावेज की प्रतियॉ उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2021/302 दिनांक 27.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.6.2021 में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील मलारना डूँगर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक/भू.अ./2021/4457 दिनांक 30.7.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील मलारना डूँगर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने का युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट को नही बताया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही होने का युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट को बताया जावे। यदि उक्त रिकार्ड आपके कार्यालय द्वारा अभिलेखागार में जमा करवाया गया हो तो उसके संबंध में अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested